



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020 (ASVINA 7, 1942 SAKA)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52 / 2020 / एसडीआर / खंड ।

दिनांक: 17 सितंबर, 2020

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिह्नित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III क के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 3786 (अ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिए यथा-संशोधित और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में साधारण निर्वाचनों या उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे।

आदेश द्वारा,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया
वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 52/2020/SDR/Vol.I

Dated: 17th September, 2020

Notification

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State/Union Territory and who request for voting by postal ballot paper, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the general elections or bye-elections in the State/Union Territory concerned, to be notified under Section 30 of Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended *vide* Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786 (E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission, until further order.

By Order,

NARENDRA N.BUTOLIA
Sr. Principal Secretary

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2020/एसडीआर/खंड ।

दिनांक: 17 सितंबर, 2020

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 के संदिग्ध या उससे प्रभावित व्यक्ति जो डाक मतपत्र से मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III क के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 3786 (अ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिए यथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले बिहार विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचनों और कई राज्यों के उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे।

आदेश द्वारा,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया
वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 52/2020/SDR/Vol.I

Dated: 17th September, 2020

Notification

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected persons, certified by competent authority, who request for voting by postal ballot paper, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the forthcoming general election to the Legislative assembly of Bihar and bye-elections in several states, to be notified under Section 30 of Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended *vide* Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission.

By Order,

NARENDRA N.BUTOLIA
Sr. Principal Secretary